कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या– 999 /12ए–125 (2017–20) / डी0एल0आर0सी0 दिनांक 16 .11. 2019

विषय –मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या –6406 / 111 के अंतर्गत जनपद देहरादून के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के खेड़ा प्लान से ग्राम बिहार तक मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली 2.271 है0 वन भूमि के एवज में दोगुनी भूमि 4.543 है0 सिविल सोयम भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

उपजिलाधिकारी, कालसी
जनपद–देहरादून।

उपरोक्त विषयक प्रकरण पर आपके पत्र संख्या–136 / र0का0 / क्षतिपूरक वृक्षारोपण–2019 दिनांक 16 जुलाई, 2019 के द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या –6406 / 111 के अंतर्गत जनपद देहरादून के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के खेड़ा प्लान से ग्राम बिहार तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु निर्माण में आने वाली 2.271 है0 वन भूमि के एवज में जनपद देहरादून की तहसील–कालसी, परगना–जौनसार बावर के ग्राम बिहार के खाता खतौनी संख्या–47 के खसरा नम्बर 276 / 2.570, खसरा नं0 281 / 1.720 व खसरा नम्बर 290 मध्ये रकबा 0.253 कुल रकबा 4.543 है0 अंतर्गत श्रेणी 5(3)ड0–अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि, को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम नामान्तरित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। इसी सम्बन्ध में तहसीलदार कालसी के पत्रांक–233 / र0का0 / शजरे–2019 दिनांक 15 नवम्बर, 2019 के द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित सजरा कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः आपके पत्र संख्या–136 / र0का0 / क्षतिपूरक वृक्षारोपण–2019 दिनांक 16 जुलाई, 2019 तथा तहसीलदार कालसी के पत्रांक–233 / र0का0 / शजरे–2019 दिनांक 15 नवम्बर, 2019 के संदर्भ में शासनादेश संख्या–2173 / XVIII(II) / 2012–18(120) / 2010, राजस्व अनुभाग–2, देहरादून दिनांक 17 दिसम्बर, 2012, शासनादेश संख्या 111 / XXVII(7)50 (39)–2015 / 2014–वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 दिनांक 09 जुलाई, 2015 तथा शासनादेश संख्या 1887 / XVIII(II) / 2015–18(169) / 2015 दिनांक 30 जुलाई, 2015 में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत तहसील–कालसी, परगना–जौनसार बावर के ग्राम–बिहार के खाता खतौनी संख्या–48 के खसरा नम्बर 276 / 2.570, खसरा नं0 281 / 1.720 व खसरा नम्बर 290 मध्ये रकबा 0.253 कुल रकबा 4.543 है0 अंतर्गत श्रेणी 5(3)ड0–अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम हस्तान्तरित / आवंटित किया जाता है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम दर्ज करते हुये, कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

COLLECTOR जिलाधीश देहरादून DEHRADUN

(सी0 रविशंकर)
जिलाधिकारी
देहरादून

......2

प्रतिलिपि :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी / चकराता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहि जनपद–देहरादून को विषयगत प्रकरण पर उनके पत्राक–41 / 6सी दिनांक जनवरी, 2019 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी
देहरादून

(iv) Teacher

Scanned with AnyScanner